71/2016
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 71/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपपंजियक) श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

07—02—2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 23.02.2016 के द्वारा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपपंजियक) श्रीगंगानगर से जिस प्रकार से सूचनांए चाही गयी थी उस प्रकार से उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 23.02.2016 के द्वारा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपपंजियक) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः—

> 1. लोक सभा या विधान सभा चुनाव डयूटी का कार्य प्रारम्भ होने के दौरान बी.एल.ओ. का यह दायित्व है कि वह अवकाश पर जाने से पूर्व वह निर्वाचन संबंधी अपना कार्यभार किसी अन्य को निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार सौप कर जायेगा। इस बाबत सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।
> 2. चुनाव के दौरान अवकाश पर मुख्यालय छोडने से पूर्व जिस निर्वाचन अधिकारी जोनल मजिस्ट्रेट या अन्य निर्वाचन अधिकारी जिसके अधिनस्थ बी.एल.ओ. कार्य का निष्पादन कर रहा है उसकी अनुमति प्रार्थना पत्र देकर या अन्यथा लिया जाना अति आवश्यक है इस बाबत सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपपंजियक) श्रीगंगानगर ने अपने जबाब सं0 595 दि0 06.05.2016 के साथ प्रेषित पत्र सं0 228 दिनांक 04.03.16 की प्रति अनुसार उनके द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई है जिसके परिणाम स्वरूप पत्र पर अपीलार्थी के प्राप्ति के हस्ताक्षर भी मौजूद हैः—

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बीएलओ द्वारा अवकाश व मुख्यालय छोडने की अनुमति नियमानुसार संबंधित निर्वाचन अधिकारी से ही ली जा सकती है।

चूंकि अपीलार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना की है कि उसे उक्त पत्र सं0 228 दिनांक 04.03.16 की प्रति प्राप्त नही हुई है जो उसे दिलवाई जावे।

399-400
16-2-17

अतः सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपपंजियक) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को उक्त पत्र सं0 228 दिनांक 04.03.16 की प्रमाणित प्रति पुनः उपलब्ध करवा दी जावे। अपीलार्थी की अपील उक्तानुसार निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपपंजियक) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 07.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर